(9) हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाए
Schemes of H.P. Backward Classes Finance & Development Corporation

उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित पिछडे वर्गों के व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

पात्रता 18 से 55 वर्ष के आयु के पिछडे वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाल व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 40,000/– तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 55,000/–रु0 से कम हो।

सहायता कृषि, दस्तकारी, पैतृक व्यवसाय, लघु तथा कुटीर उद्योग, परिवहन सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 50,000/–रु0 से 5.00 लाख रु0 तक 6 प्रतिशत व्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।

- स्वर्णिमा योजना के तहत पिछडे वर्गों की गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को स्वंय रोजगार हेतु 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
- उच्च शिक्षा हेतु 50,000 रु0 तक ब्याज मुक्त ऋण ऐसे छात्र/छात्राओं, जिन के परिवार की वार्षिक आय 36,000/–रु0 से कम हो, को उपलब्ध करवाए जाते है।
- तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु 5.00 लाख रु0 तक ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते है।

प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कागडा/सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।